अनवानः– हेमाराम बनाम शैतानाराम
मुकदमा नम्बरः– 01/2024
निर्णय तारीखः– 19.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 01/2024 जीसीएमएस वाद संख्याः–2024/51

प्रार्थीगण	**बनाम**	अप्रार्थीगण
1. हेमाराम पुत्र श्री लादूराम। 2. सोनी बैवा लादूराम जातियान विश्नोई निवासीगण हरिपुरा नेणों का वास, सरवाना तहसील सांचौर जिला जालोर।		1. शैतानराम पुत्र रावताराम। 2. भीखाराम पुत्र रावताराम। 3. धोली देवी पत्नी थानाराम। 4. सीमा कुमारी पुत्री थानाराम। 5. भगवती कुमारी पुत्री थानाराम। 6. वर्षा कुमारी पुत्री थानाराम। 7. शैलेश कुमार पुत्र थानाराम नाबालिग जरिये माता धोली देवी जातियान विश्नोई निवासीगण हरिपुरा नेणों का वास, सरवाना तहसील सांचौर। 8. भूमिधारी तहसीलदार सांचौर।

अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री सोहनलाल नैण।

अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह।

अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः–19.12.2025

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व मालिकाना भूमि सरहद मौजा हरिपुरा नेणों का वास, पटवार हल्का सरवाना में स्थित खसरा नं. 1883/345 रकबा 2.26 हैक्टर व खसरा नं. 1884/345 रकबा 0.04 हैक्टर है, जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व जमाबंदी खाता संख्या 188 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण वर्षों से शांतिपूर्ण कब्जाकाश्त व उप[illegible] रहे हैं। उक्त भूमि के दक्षिण–पश्चिमी माठ पर अप्रार्थी संख्या 01 शैतानराम [illegible] प्रार्थीगण की अनुपस्थिति, विकलांगता व वृद्ध माता की स्थिति का नाजायज लाभ उठाकर बार–बार सीमा विवाद करता है, माठ तोड़ता है तथा भूमि हड़पने का प्रयास करता है। इस संबंध में पंचायत व समझाइश भी करवाई गई, परंतु अप्रार्थी नहीं माना। अप्रार्थी द्वारा माठ/सेढ़ा तोड़ने की रिपोर्ट पुलिस थाना सरवाना में दर्ज करवाई गई, जिसमें पुलिस द्वारा अपराध प्रमाणित कर चालान किया गया, जो न्यायालय में विचाराधीन है। विवाद निरंतर बने रहने से शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना है। विवाद का स्थायी समाधान केवल राजस्व नक्शे अनुसार पत्थर गढ़ी (नेखमबंदी) से संभव है। प्रार्थीगण नियमानुसार समस्त खर्च वहन करने को तैयार

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि खसरा नं. 1883/345 व 1884/345 की स्थायी नेखमबंदी हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेश जारी करने तथा आवश्यकता अनुसार पुलिस इमदाद प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

3. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 7 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मूल खसरा संख्या 345 एक ही चक में स्थित है मौके पर नवीन खसरा संख्या 1883/345 की कोई माठ नहीं थी जिस निर्णय के आधार पर मूल खसरा का विभाजन हुआ है उसके विरूद्ध अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली में लम्बित है तथा निगरानी प्रकरण संख्या 320/2024 में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 24.06.2024 को स्थगन आदेश जारी किया गया है तथा निर्णय में मिले खसरे पर कब्जा अर्जित हेतु आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत इजराय की कार्यवाही कर कब्जा लेने का प्रावधान है तथा खसरा संख्या 1883/345 माननीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांचौर के आदेश दिनांक 27/06/2024 के तहत धारा 145, 146 सी.आर.पी.सी के तहत कुर्क किया हुआ है तथा थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाना रिसिवर नियुक्त किया गया है इस प्रकार प्रार्थीगण का धारा 111, 128 आर.एल. आर. एक्ट के तहत पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई आधार नहीं होने से तथा विनायवाद के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि मौजा हरिपूरा नेणों का वास में प्रार्थीगण की खातेदारी व मालिकाना हक–हकुक कब्जा काश्त के खेत खसरा संख्या 1883/345 रकबा 2.26 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1884/345 रकबा 0.04 हैक्टेयर की आई हुई है। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार वालों ने मिलकर दिनांक 13.06.2023 को प्रार्थीगण के खेत की तरमीमसुदा माठ को तोड़कर विवाद कर खेत की सीमा अपनी मनमर्जी अनुसार अवैध रूप से तोड़कर थोर काट दी जिस पर प्रार्थीगण द्वारा विरोध करने पर अप्रार्थीगण नहीं माने झगड़ा टण्टा करने पर उतारू हो गये, माठ काटने की रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना सरवाना में पेश करने पर बाद अनुसंधान पुलिस ने अप्रार्थी के द्वारा सेढ़ा तोड़ने का जुर्म बखूबी प्रमाणित मानकर अप्रार्थी का चालान किया, अप्रार्थीगण झगड़ालु प्रवृति के व संख्या बल में अधिक होने के कारण वादग्रस्त आराजी की सीमा की स्थायी नेखमबंदी करावें व साथ में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त पुलिस इमदाद का [illegible] करावें।

5. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के विद्वान अधिवक्ता [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण का धारा 111, 128 [illegible] एक्ट के तहत पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र पेष करने का कोई आधार नहीं होने [illegible] था विनायवाद के अभाव में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना–पत्र में विवादित आराजी मौजा हरिपुरा नेणों का वास पटवार हल्का सरवाना के खेत खसरा संख्या 1883/345 रकबा 2.26 हैक्टेयर, व खसरा संख्या 1884/345 रकबा 0.04

उपखण्ड अधिकारी

हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार विवादित आराजी पर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर प्रकरण संख्या 2024/2264 दिनांक 24.06.2024 से स्थगन का नोट लगा हुआ है जो जमाबंदी संवत् 2074—2077 खाता संख्या 88 से स्पष्ट है इसी प्रकार प्रकरण संख्या 01/2023 घारा 145—146 सी.आर.पी.सी. बअनवान सरकार बनाम पार्टी संख्या—ए हेमाराम, प्रार्टी संख्या बी शैतानाराम की आदेशिका दिनांक 27.06.2024 के अनुसार वादग्रस्त आराजी के खेत खसरा संख्या 1883/345 रकबा 2.26 हैक्टेयर को कुर्क की जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना सरवाना को रिसीवर नियुक्त किया गया है तथा वादग्रस्त आराजी की विषयवस्तु बाबत् माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय दिनांक 23.06.2025 अन्तर्गत अपील संख्या 34/2023 व 50/2023 में न्यायालय सहायक कलक्टर सांचौर के राजस्व वाद संख्या 65/2010 बअनवान झाला वगैरह बनाम भीखा वगैरह में पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 08.02.2022 को अपास्त कर पुनः सुनवाई हेतु पत्रावली रिमाण्ड की गई है।

7. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी संबंधी अलग— अलग न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन होने तथा वादग्रस्त आराजी का कब्जा बाबत् दोनों पक्षों में विवाद होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट की ताईद में नहीं होने से प्राथीगण का प्रार्थना—पत्र खारिज योग्य है।

—: आदेश :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 आर.एल.आर. एक्ट की ताईद में नहीं आने से प्रार्थीगण का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2025 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:13 IST
Reason: SelfAttested